न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 60 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. चेतनराम पुत्र सोनाराम	बनाम	1.पुराराम पुत्र श्री पुरखाराम
2. तिलाराम पुत्र सोनाराम		2.दुर्गाराम पुत्र श्री पुरखाराम
जाति सुथार निवासी जीयासर		3.गोगाराम पुत्र श्री पुरखाराम जाति जाट
धोलानाडा तहसील		निवासी जीयासर धोलानाडा तहसील
गुड़ामालानी जिला बाड़मेर		गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
		4.तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 130/2019 बअनवान पुराराम बनाम चेतनराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 29.10.2020 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री भजनलाल गोदारा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 28.02.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए उप धारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम जीयासर पटवार क्षेत्र धोलानाडा तहसील गुड़ामालानी में खेत खसरा संख्या 790 रकबा 120.10 बीघा का आया हुआ है इसमें आने जाने हेतु कोई राजकीय कटान मार्ग नहीं है हमारे पडौसी विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 908/794 रकबा 11.11 बीघा एवं खसरा संख्या 909/794 रकबा 11. 10 बीघा मौजा जीयासर में से ही आ जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ने वादग्रस्त खेत की मौका रिपोर्ट तहसीलदार से मंगवाई गई तथा उक्त एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2020 को एकपक्षीय रूप से बहस सुनकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा पेश आवेदन दिनांक 28.02.2022 पर आदेश पारित किया जाना उचित होगा। अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा पेश आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सी पी सी वास्ते पत्रावली मंगवाने अधीनस्थ न्यायालय मु. संख्या 75/2017 अनवान पूराराम बनाम तिलाराम दिनांक 07.01.2019 पेश किया जाकर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवान की पत्रावली हस्तगत अपील से संबंधित होने से मंगवाया जाना न्यायोचित है। अतः आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने दिनांक 28.02.2022 को पेश आवेदन पर बहस करते हुए निवेदन किया कि पत्रावली अंतिम बहस में विचाराधीन है तथा इस स्तर पर आवेदन पेश करना अपीलांटगण की प्रकरण को व्यर्थ ही लंबा करने की मंशा है। अतः आवेदन खारिज किया जावे।

उभयपक्ष की दिनांक 28.02.2022 को अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी पी सी पर बहस सुनी गई। अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा मु. संख्या 75/2017 की पत्रावली मंगवाने का निवेदन किया गया जबकि उपरोक्त संपूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि अपील पत्रावली के साथ अपीलांटगण द्वारा पेश की जा चुकी है। पत्रावली अंतिम बहस में सुनवाई में है। इस स्तर पर अब इस पत्रावली को मंगवाया जाना न्यायोचित नहीं है। लिहाजा अपीलांटगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सी पी सी खारिज किया जाता है।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। उतरदाता संख्या 01 द्वारा अपीलाधीन आराजी एवं इन्ही उतरदातागण(अपीलकर्ता एवं उतरदाता संख्या 02 से 03) के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में पुर्व में दिनांक 01.09.2017 को एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त आवेदन में दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात दिनांक 07.01.2019 को आवेदन को अस्वीकार किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध उतरदाता संख्या 01 द्वारा किसी प्रकार की कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई तथा बाद में उतरदाता संख्या 01 द्वारा उक्त आवेदन पत्र एवं आदेश के तथ्य को छिपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय में एक अन्य आवेदन पत्र दिनांक 18.09.2019 को प्रस्तुत किया जिसके नोटिस सम्यक रूप से अपीलकर्ता पर तामील करवाये बिना ही अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौके पर ग्रेवल सड़क मौजूद

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। तहसीलदार द्वारा पेश मौका रिपोर्ट एकपक्षीय बनाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे। अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः—

RRD 1986 Page 526

RRD 1996 Page 488

रेस्पोडेंट संख्या 01 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 790 रकबा 120.11 बीघा ग्राम जीयासर पटवार क्षेत्र धोलानाडा तहसील गुड़ामालानी में आने—जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में आपति उठाई गई कि रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व में आवेदन पेश किया जो अस्वीकार किया गया लेकिन उपरोक्त आवेदन में भी मौका रिपोर्ट दिनांक 02.10.2017 में स्पष्ट आया है कि खातेदार पूराराम वल्द पुरखाराम के खातेदारी खेत खसरा संख्या 790 रकबा 120.10 बीघा तक पहुंचने का एकमात्र जरिया खसरा संख्या 908/794, 909/794 के अलावा नजदीकतम तथा सरलतम अन्य कोई विकल्प उपरोक्त खसरों में से जाने के अलावा नहीं है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून के विपरित जाकर रेस्पोडेंट के आवेदन को अस्वीकार किया। जब तक अपीलांट की वाजिब मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक प्रार्थी को आवेदन करने से बाधित नहीं किया जा सकता। रेस्पोडेंट/आवेदन ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है जिनको कानून की जानकारी नहीं है कि उसे पूर्व के आदेश के विरूद्ध अपील पेश करनी या नया आवेदन पेश करना लेकिन प्रार्थी को मिले उसके विधिक अधिकार से वंचित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम सम्मन जारी किये बावजूद सूचना एवं तामील के अनुपस्थित रहे। न्यायालय हाजा द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट द्वारा पूर्व में पेश आवेदन संख्या 75/2017 में मौके से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। उक्त मौका फर्द दिनांक 02.10.2017 में स्पष्ट आया कि "खातेदार पूराराम वल्द पुरखाराम के खातेदारी खेत खसरा संख्या 790 रकबा 120.10 बीघा तक पहुंचने का एकमात्र जरिया खसरा नं. 908/794, 909/794 के अलावा नजदीकतम तथा सरलतम अन्य कोई विकल्प उपरोक्त खसरों में से जाने के अलावा नहीं है। उक्त प्रस्तावित भूमि पर वर्तमान में किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण नहीं हैं, भूमि मौके पर खाली है।" हस्तगत आवेदन संख्या 130/2019 में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। मौका फर्द दिनांक 16.09.2020 में भी स्पष्ट आया है कि "खेत खसरा संख्या 790 तक पहूंचने हेतु कट्टान मार्ग/सड़क के निकटतम खसरा नं. 908/794 व 909/794 मे से होकर उक्त खसरे तक पहूचने में कम से कम भूमि की आवश्यकता रहेगी। उक्त खसरान की प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है। वर्तमान मे किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण किया हुआ नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपस्थित व प्रतिवादीगण ने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया। उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा खसरा नं. 790 में आवागमन हेतु निकटतम कोई अन्य स्त्रोत नहीं है।" अपीलांटगण ने अपनी अपील में इस बात को लेकर उजर किया गया कि रेस्पोडेंट द्वारा पूर्व में पेश आवेदन अस्वीकार करने के बाद नवीन आवेदन को तथ्यों को छिपाकर पेश किया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पेश आवेदन संख्या 75/2017 को अस्वीकार किया गया लेकिन उसमें में जो मौका रिपोर्ट आई उसमें में अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रदत्त रास्ते को ही प्रस्तावित किया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध जाकर उसको निरस्तारित किया गया। प्रार्थी/आवेदक को जब तक कानूनी अधिकार से प्राप्त हक नहीं मिलते तब तक आवेदन किया जा सकता है उसमें कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांट की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थी को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना कतई न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 130/2019 बअनवान पुराराम बनाम चेतनराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 29.10. 2020 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 28.02.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर